भगवान बनाम प्रभू वगैरा

2023/56

निर्णय दिनांक–15.05.2023

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र सं.:–2023/0056 दर्ज तिथि:–03.01.2023

1. भगवान पुत्र गोविन्दा उम्र करीब 70 साल जाति मीणा निवासी मुण्डियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.............प्रार्थी

बनाम

1. प्रभू पुत्र गोविन्दा उम्र करीब 70 साल
2. श्रवण पुत्र गोविन्दा उम्र करीब 70 साल
   समस्त जाति मीणा निवासी मुण्डियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0

..............अप्रार्थीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता:–श्री नरेन्द्र शर्मा
अप्रार्थी:– अनुपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णय:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय तिथि:–15.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की निजी आराजी खसरा नम्बर [illegible]/0.28 है0, 829/0.76 है0, 986/353/0.21 है0, 987/[illegible]3/0.35 है0, 992/72[illegible]/0.19 है0, 994/236/0.23 है0, 996/303/0.09 है0, 999/324/0.23 है0, 886/2.27 है0,

954/831/0.74 है0, प्रार्थी की सालिम आराजी तथा आराजी खसरा संख्या 272/0.08 है0, 368/0.28 है0, प्रार्थी की हिस्सा 1/3 की सह–खातेदारी वाके ग्राम मुण्डियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार थानागाजी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अन्त में प्रार्थी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 30.06.2022 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामील बाद अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। उनकी ओर से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी को पत्र क्रमांक कोर्ट/2023/1093 दिनांक 19.01.2023 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवार हल्का हरनेर ने मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक–24.02.2023 तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 30.06.2022 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.****—(1) In case of any dispute concerning any boundary, the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:46 IST
Reason: SelfAttested

party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075–78 वाके ग्राम मुण्डियावास में इन्द्राज एवं तहसीलदार थानागाजी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद में अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम मुण्डियावास के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी खसरा संख्या 272/0.08 है0, 368/0.28 है0, प्रार्थी की हिस्सा 1/3 की सह–खातेदारी तथा शेष आराजी प्रार्थी की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 30.06.2022 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार थानागाजी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 293, 355 गै0 मु0 [illegible] मुश्तकिल बिन्दू मानकर खसरा नम्बर 301 का उत्तरी–पश्चिम [illegible] राजस्व नक्शे की नाप के मुताबिक 986/353, 987/353, 301, 994/3[illegible] 996/303, 992/725, 999/324 तथा 368 के चारों ओर जरीब [illegible] करवायी गयी। उसी प्रकार खसरा संख्या–954/831 के सीमाज्ञान हेतु खसरा संख्या–838 किस्म गै.मु. चाह एवं जोधावास मुण्डियावास कांकड बसायीयों का कुआ से जरीब चला कर निशानदेई की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:46 IST
Reason: SelfAttested

भगवान बनाम प्रभू वगैरा

2023/56

निर्णय दिनांक–15.05.2023

प्रार्थना–पत्र में आराजी खसरा संख्या 272/0.08 है0, 368/0.28 है0, प्रार्थी की हिस्सा 1/3 की तथा शेष की अप्रार्थीगण की संयुक्त सह–खातेदारी आराजी है। इस संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड विभाजन नहीं हुआ है। अतः संयुक्त आराजी के अविभाजित खसरों तथा शेष प्रार्थी की अपनी सालिम आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवादों के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम मुण्डियावास तहसील थानागाजी जिला अलवर की हाल खसरा नम्बर 301/0.28 है0, 829/0.76 है0, 986/353/0.21 है0, 987/353/0.35 है0, 992/725/0.19 है0, 994/236/0.23 है0, 996/303/0.09 है0, 999/324/0.23 है0, 886/2.27 है0, 954/831/0.74 है0, प्रार्थी की सालिम आराजी तथा आराजी खसरा संख्या 272/0.08 है0, 368/0.28 है0, प्रार्थी की हिस्सा 1/3 की सह–खातेदारी के अविभाजित खसरों पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी से लगती हुई आराजी के पड़ोसी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए विधिक उपबंधानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रतिपालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 15.05.2023 को न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:45:46 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)